पेसा कानून के तहत गाँव विकास नियोजन

विलेज प्रोफाइल

आमझरा

ग्राम पंचायत - आमझरा,

तहसील व ब्लॉक - बिछीवाड़ा

जिला - डूंगरपुर, राजस्थान

पीस

गाँव का इतिहास - आमझरा बिछीवाड़ा ब्लॉक का गाँव है। यह गाँव आजादी के लगभग 250 वर्ष पूर्व बसाया गया था। गाँव के आदिवासी बुजुर्गों और गाँव में इतिहास के बारे में जानकारी रखने वालों के अनुसार पहले इस गाँव का नाम अजमेर था। यहाँ शुरूआत में हगात उपजाति के आदिवासी लोग आए। इससे पूर्व वे लोग जंगल में फल एकत्रित करने, शिकार करने और गुलामी से बचने के लिए आते थे। हगात उपजाति के आदिवासी लोगों ने इस गाँव का नाम अजमेर से बदल कर आमझरा रख दिया। आमझरा गाँव के लोग प्रकृति प्रेमी हैं। यहाँ आज भी गाँव में आम और सागवान आदि वृक्षों का जंगल है। कालान्तर में गाँव में कुछ और दूसरी आदिवासी उपजातियों के लोग यहाँ आकर बस गए। वर्तमान में गाँव में 510 घर हैं। आमझरा गाँव में एक हनुमान मंदिर है।

गाँव का परिचय - आमझरा एक राजस्व गाँव है। यह डूंगरपुर जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में बसा हुआ है। इसकी ग्राम पंचायत आमझरा और ब्लॉक बिछीवाड़ा है। आमझरा पंचायत में दो गाँव हैं - आमझरा और करहेल माता। आमझरा का कुल रकबा 476 हेक्टेयर है, जिसमें कृषि जमीन बिला नाम जमीन और जंगल की जमीन शामिल है। गाँव में पहाड़ भी हैं, मगर वे सूखे हैं। निकटवर्ती गाँव करहेल माता, संचिया, झिंझवा, खेरवाड़ा, बोखला पाल, रोजेला, पालपादर और साबली है। गाँव में लगभग 510 घर और जनसंख्या करीब 2500 है। इस गाँव में सात फले नला फला, रेड़ा फला , हिड़वा घाटी, वेचला फला, नई बस्ती, माली फला और राजपूत बस्ती के नाम से हैं।

गाँव में अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य जाति के लोग निवास करते है। अनुसूचित जनजाति में मुख्य रूप से डामोर, वरहात, बोड़ात, अहारी, परमार और भगोरा उपजातियाँ हैं। गाँव में इनके अतिरिक्त यादव, बनिया, राजपूत, ब्राह्मण और कलाल जाति के लोग रहते हैं। गाँव में शिलालेख और गाँव सभा का गठन वर्ष 2018 में हुआ। हर माह एक निश्चित तारीख को गाँव सभा की बैठक की जाती है। बैठक में गाँव सभा के लोग शामिल होते हैं। बैठक में गाँव की समस्याओं तथा आपसी मुद्दों को सुलझाया जाता है। गाँव में वागड़ मजदूर किसान संगठन के कार्यकर्ता पेसा कानून की जागरूकता को लेकर पिछले कुछ सालों से सभाएं, जागरूकता अभियान और पेसा कानून की शक्तियों के माध्यम से गाँव के विकास को लेकर सक्रिय हैं। इनमें गाँव के पढ़े-लिखे लोग, बुजुर्ग, महिलाएं और पुरुष शामिल होते हैं। वर्तमान समय में गाँव की साठ प्रतिशत आबादी को पेसा कानून की शक्तियों के बारे में जानकारी है। इन शक्तियों का उपयोग करते हुए अपने गाँव विकास नियोजन के प्रस्ताव भी बनाये हैं। बिछीवाड़ा ब्लॉक के अन्य गाँवों की भाँति इस गाँव में भी आदिवासी लोगों की दशा बहुत दयनीय है। उनके कब्जे की जमीन पहाड़ी ढलान वाली, पथरीली और ऊबड़-खाबड़ है। पंचायत का मुख्य गाँव होने के कारण पंचायत भवन, पशु चिकित्सालय, किसान सेवा केंद्र, मिनी बैंक, आयुर्वेदिक दवाखाना, राशन की दुकान और उप-स्वास्थ्य केंद्र गाँव में ही हैं।

आवागमन - आमझरा की डूंगरपुर से दूरी लगभग 39 किलोमीटर है। गाँव नेशनल हाईवे नंबर 8 के दोनों ओर बसा हुआ है। डूंगरपुर से आमझरा जाने के लिए बिछीवाड़ा तक बस से जाना पड़ता है। बिछीवाड़ा से आमझरा

तक की 10 किलोमीटर की दूरी टेम्पो अथवा जीप से तय करना पड़ती हैं। गाँव में जाने के लिए हाई-वे से मोड़ के बाद मोटरसाइकिल से या पैदल आना-जाना पड़ता है। गाँव में जाने के लिए तीन पक्की सड़क, दो सी.सी. सड़क और दो कच्ची सड़क हैं। गाँव में यात्री वाहन तीन जगहों कोटड़ी स्टैंड, पीपला स्टैंड और माली वाला स्टैंड पर उतारते हैं। गाँववासियों को गाँव से कहीं बाहर आने-जाने के लिए उक्त तीन वाहन स्टैंड में से एक जगह तक (लगभग तीन से चार किलोमीटर) तक पैदल अथवा अपने साधन से आना-जाना पड़ता है। स्टैंड से गाँववासियों को दूसरे गाँव में जाने के लिए बस, जीप अथवा टेंपो मिलते हैं। गाँव लगभग पांच से छः किलोमीटर की परिधि में बसा है। आदिवासी परिवार के लोगों ने अपने घर और खेत पहाड़ियों पर बना रखे हैं। उन्हें घरेलू सामान की खरीददारी के लिए बिछीवाड़ा या खेरवाड़ा जाना पड़ता है, जो गाँव से क्रमशः 10 और 15 किलोमीटर की दूरी पर हैं।

शिक्षा - गाँव में तीन प्राथमिक विद्यालय और एक उच्च प्राथमिक विद्यालय है। तीनों ही प्राथमिक विद्यालयों में कुल करीब 110 छात्र-छात्राओं का नामांकन हुआ है। तीनों प्राथमिक विद्यालयों में 2-2 अध्यापक नियुक्त हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय में करीब 200 बच्चों का नामांकन हुआ है। वहाँ 8 अध्यापक नियुक्त हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय के तीन कमरों की छत मरम्मत सन 2018 में करवाई गयी है। यह गाँव का सबसे पुराना स्कूल है। कक्षा 9 वीं से 12 वीं तक पढ़ने के लिए बच्चे तीन किलोमीटर दूर करहेल माता उच्च माध्यमिक विद्यालय जाते हैं। स्नातक स्तर की पढाई के लिए गाँव से कुछ लड़के-लड़कियाँ बिछीवाड़ा कॉलेज और कुछ लड़के-लड़कियां डूंगरपुर कॉलेज जाते हैं। डूंगरपुर कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के-लड़कियाँ कॉलेज के पास ही किराये का कमरा लेकर या छात्रावास में रहते हैं।

स्वास्थ्य - गाँव में चार आंगनवाड़ी हैं- भुला फला आंगनवाड़ी, मनात फला आंगनवाड़ी, पंचायत भवन आंगनवाड़ी और गोदवाड़ा आंगनवाड़ी। सभी आंगनवाड़ियों की छत जर्जर हो चुकी है। बरसात में छत से पानी टपकता है। सामान्य और मौसमी बीमारियों जैसे बुखार, जुकाम, खाँसी के इलाज के लिए आमझरा में हाईवे के दूसरी ओर एक उप-स्वास्थ्य केंद्र है। गाँव में एक आयुर्वेदिक दवाखाना भी है। बड़ा अस्पताल गाँव से 10 किलोमीटर दूर बिछीवाड़ा में है। गंभीर मरीजों को मुख्य सड़क तक चारपाई पर अथवा झोली में डालकर जैसे-तैसे पैदल ही ले जाना पड़ता है। मुख्य सड़क पर लाने के बाद वहाँ से मरीजों को 108 एम्बुलेंस की मदद से बिछीवाड़ा हॉस्पिटल ले जाते हैं। अक्सर अधिक गंभीर मरीजों को उदयपुर या अहमदाबाद के सरकारी अस्पताल में रेफर किया जाता है।

गाँव की समस्याओं का विवरण निम्न प्रकार है-

आवागमन की कमी - आमझरा में तीन पक्की सड़कें हैं, जिसमें से एक अधूरी है। बाकी की दोनों पक्की सड़कें हाईवे से निकलती हुई गाँव में ही खत्म हो जाती हैं। अधूरी पक्की सड़क बहुत छोटी है। गाँव के भीतर जाने के लिए मात्र दो सी.सी. सड़क और दो कच्ची सड़क हैं। पहाड़ी और ऊबड़-खाबड़ धरातल होने के कारण सड़क

निर्माण करने में समस्या आती है। गाँव के वे फले जो जंगल के पास हैं और उन घरों में जो पहाड़ियों पर बसे हैं, वहाँ पर पगडंडियाँ है। वे रास्ते इतने संकरे हैं कि उन पर दो पहिया वाहन या पैदल ही जाया जा सकता है। कच्चे रास्ते सबसे ज्यादा बारिश के मौसम में परेशानी पैदा करते है। बारिश में कच्चे रास्ते पूरी तरह कीचड़ से भर जाते हैं, जिन पर पैदल चलना भी दूभर हो जाता है। गाँव में सी.सी. सड़कों की संख्या बहुत कम है। जो सी.सी. सडकें हैं, वे भी बारिश में टूट जाती हैं, अथवा किनारों से कट जाती हैं। गाँव से बिछीवाड़ा हाईवे तक जाने वाली सड़क भी टूटी-फूटी है। इस सड़क पर टेम्पो अथवा जीप चलते हैं। मुख्य सड़क से जो यात्री वाहन मिलते हैं, वे सवारियों को क्षमता से अधिक (ओवरलोड) बिठाते हैं और पूरा भर जाने के बाद ही चलते हैं। गाँव के भीतर जाने के लिए आवागमन का कोई साधन नहीं मिलता है।

भूमि एवं जल प्रबंधन की कमी - गाँव में लोग अपनी कई पीढ़ियों से बसे हुए हैं और पहाड़ियों पर घर बना कर रह रहे हैं, लेकिन उनके पास अपनी कब्जे की जमीन का खातेदारी हक और पट्टा नहीं है। यदि कुछ लोगो के पास पट्टे हैं भी, तो वह उनके कब्जे की जमीन का बहुत ही कम हिस्सा है। आदिवासियों के कब्जे वाली कृषि भूमि ऊबड़-खाबड़ और पहाड़ी ढलान वाली है. जिसके कारण खेती ढंग से नहीं हो पाती है। गाँव की समतल जमीन राजपूत और ब्राहमण परिवारों के कब्जे में है. जिसे उन्होंने जे.सी.बी. मशीनें लगवाकर समतल करवाया है। गाँव में कुछ भूमि बिलानाम है, जिस पर गाँव के लोगों ने कब्जा कर रखा है। गाँव का चारागाह टुकड़ों में बंटा हुआ है। इस पर भी गाँव के कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है। गाँव की खाली पड़ी जमीन और पहाड़ियों के उपयोग की गाँव के लोगों के पास किसी भी प्रकार की योजना नहीं है।

कृषि भूमि पर गेहूं, मक्का, उड़द, चना, तुअर तथा धान आदि खाद्यान्न फसलों का उत्पादन होता है, लेकिन गाँव की बसावट और खेत ऊँचाई पर होने के कारण सभी खेतों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पाता है। आदिवासी किसान किसी तरह से अपनी ऊबड़-खाबड़ जमीन पर बरसात में होने वाली फसल ही पैदा कर पाते हैं और सूखा पड़ने पर वह भी नहीं हो पाती है। गेहूं और धान की खेती वे लोग करते हैं, जिनके पास सिंचाई के लिए बोरवेल हैं। गाँव में सिंचाई हेतु एक बड़ा नाला, तीन छोटे नाले हैं, दो तालाब, 15 चेक डैम/छोटे एनिकट और लगभग 50 कुँए तथा करीब करीब 350 ट्यूबवेल हैं। चारों नालों का पानी नवम्बर-दिसम्बर तक सूख जाता है। गाँव के एक तालाब में थोड़ा पानी रहता है। दूसरा तालाब बहुत छोटा होने और गहराई कम होने से उसमें पानी का संग्रहण भी कम होता है। यह तालाब गर्मी आने से पहले ही सूख जाता है। गाँव के बहुत से कुँए बारिश के बाद अप्रैल माह तक सूख जाते हैं, क्योंकि वे कम गहरे हैं। गाँव के एनिकट भी पुराने हो जाने के कारण उनकी पाल और किनारों से पानी रिस कर निकल जाता है। इसलिए गाँव में अधिकतर घरों में पानी के लिए लोगों ने ट्यूबवेल खुदवा रखे हैं। ट्यूबवेल के अत्यधिक प्रयोग से गाँव का भू-जलस्तर काफी नीचे चला गया है। वर्तमान में पानी के संकट को जानते हुए भी भू-जलस्तर को ऊँचा करने की कोई योजना पंचायत और गाँव वालों के पास नहीं है। गाँव वालों मे भू-जलस्तर को ऊँचा उठाने के लिए कोई जागरूकता नहीं है। वे लोग पानी के लिए पूरी तरह्ह बारिश पर निर्भर हैं और किसी भी प्रकार की जल संरक्षण संबंधी योजना के लिए

पंचायत पर ही निर्भर है। वर्तमान में जिला प्रशासन ने पूरे बिछीवाड़ा ब्लॉक को पानी के मामले में डार्क जोन घोषित कर दिया है। यहाँ किसी भी प्रकार की खुदाई जैसे कुआ या बोरवेल खुदवाना निषेध है।

पेयजल की समस्या - गाँव में पीने के पानी की व्यवस्था के लिए 25 हैंडपंप हैं। आधे से अधिक हैंडपंप या तो सूख चुके हैं या पानी में फ्लोराइड की अधिकता होने के कारण उनके पाइप में छेद हो चुके हैं। फ्लोराइड के कारण हैंडपंप से आने वाले पीने के पानी का रंग लाल या पीला है। उनको गर्मियों में पीने के पानी के लिए बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। गर्मियों में पीने का पानी डेढ़ से दो किलोमीटर की दूरी से सिर पर ढो कर लाना पड़ता है। फ्लोराइड और आयरन युक्त पानी से बचाव के लिए गाँव में कोई आर.ओ. (रिवर्स ऑस्मोसिस वॉटर प्यूरीफायर) प्लांट नहीं है। गाँव में लगभग 50 कुँए और लगभग 350 ट्यूबवेल हैं, लेकिन गर्मी के समय आधे से अधिक कुँए सूख जाते है। गाँव के सभी ट्यूबवेल का जलस्तर नीचे है और गर्मी में अधिकांश ट्यूबवेल सूख जाते हैं।

कृषि एवं खाद्यान्न की स्थिति - गाँव में आदिवासी लोगों की कृषि भूमि पथरीली ऊबड़-खाबड़ तथा पहाड़ की ढलान वाली है। गाँव में लोग गेहूं, मक्का, उड़द, चना, दलहन तथा धान आदि की खेती करते हैं। गेहूं और धान की खेती वे ही लग कर पाते हैं, जिनके बोरवेल में साल भर सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल जाए। अक्सर पहली बारिश में बुवाई की आशा में किसान खेत जोत कर बैठ जाते हैं, पर कभी कभी-बारिश होने में लम्बा अंतराल होने से उनको बीज का भी नुकसान हो जाता हैं। खेतों में खड़ी फसलों को नील गाय, सुअर आदि नुकसान पहुँचाते हैं। खेती में जो पैदावार का अनाज होता है, वह 4 से 5 महीने खाने भर का होता है। बाकी दिनों में अनाज बाजार से खरीद कर खाना पड़ता है। सरकारी राशन की दुकान पर प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं मिलता है, जो परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त नहीं होता है।

पशुपालन हेतु चारे व चारागाह की कमी - गाँव में पशुओं के नाम पर लोगों के पास गाय, भैंस, बैल और बकरियाँ हैं। कुछ लोग 8-10 मुर्गियाँ भी रखते हैं। गाँव के पशु चारे के अभाव में और देशी नस्ल होने से दूध कम देते हैं। गाय एक से डेढ़ लीटर दूध और भैंस दो से ढाई लीटर दूध ही देती है। इतने दूध से केवल बच्चों के पीने भर की पूर्ति हो पाती है। बकरी और भेड़ पालन भी कर पाना उनके लिए कठिन है, क्योंकि उनके चारे की कोई व्यवस्था नहीं है। वे गरीबी के कारण चारा भी खरीद पाने की स्थिति में नहीं हैं। गाँव के चारागाह और पहाड़ियों पर जिन लोगों का कब्जा है, उन्हीं लोगों को घास मिलती है। वह चारे की कमी को पूरा करती है। गाँव में चारा उपलब्ध नहीं होने पर गुजरात या उदयपुर से चारा खरीदा जाता है।

रोजगार की स्थिति - गाँव में लोगों के पास खेती और मनरेगा में मजदूरी के अलावा रोजगार का कोई अन्य विकल्प नहीं है। काम की तलाश में वे आस-पास के शहरों में मजदूरी के लिए जाते हैं। जहाँ उन्हें खुली मजदूरी (कड़िया काम) मिलता है। लेकिन वह भी महीने में अधिकतम 20 दिन ही मिलता है। मनरेगा में भी 100 दिन से कम ही काम मिल पाता है और मजदूरी भी लगभग 100 रु. मिलती है। जब गाँव में मनरेगा का काम नहीं

होता है, तब लोग नजदीकी शहर बिछीवाड़ा, डूंगरपुर या शामलाजी में दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। ज्यादातर युवक गुजरात के शहरों बिछीवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर की फैक्ट्रियों में मजदूरी करने जाते हैं। वहाँ भी उनको 250 से 300 रु. प्रतिदिन ही मेहनताना मिल पाता है।

गाँव में उपलब्ध संसाधन, उनकी हालत और संभावनाएं -

क्र	संसाधन	संसाधनो की स्थिती	संभावनाएं
1	**जल** - नाले तालाब चेकडैम एनिकट कुँए ट्यूबवेल हैंडपंप	आमझरा गाँव में चार नाले हैं, लेकिन चारो नाले बरसात बाद सूख जाते हैं। दो तालाब हैं, जिसमें से एक तालाब में ही पानी रहता है। दूसरा कम गहरा होने से सूख जाता है। गाँव में 15 चेकडैम/छोटे एनिकट हैं, लेकिन सभी जर्जर, पुराने होकर टूट गये हैं। इसलिए जो पानी आवक से भरता है, वह बह कर निकल जाता है। गाँव में लगभग 50 कुँए है। गर्मी के समय आधे से अधिक कुएं सूख जाते हैं। गाँव 350 ट्यूबवेल हैं लेकिन गर्मी में अधिकांश सूख जाते हैं। गाँव में लगभग आधे हैंडपंपों का पानी भी सूख जाता है।	वर्षा जल संरक्षण करना। गाँव के एनिकट की मरम्मत हो जाये तो पानी रुक सकता है और आस-पास के लोगों के काम आ सकता है। वर्ष जल संरक्षण भू-जलस्तर को भी बढ़ा सकता है। एनीकट की मरम्मत या पुनर्निर्माण से एनीकट में पानी रुक सकता है और सिंचाई के काम आ सकता है।
2	**जंगल**	गाँव में जंगल है, पर वह वन विभाग के कब्जे में है। जंगल में अधिकतर झाड़ियाँ, बबूल के पेड़, तेंदुपत्ते(टीमरू), सीताफल और सागौन के पेड़ हैं। तेंदूपत्ता को वन विभाग ठेके पर देता है। ठेकेदार गाँव के लोगों से पत्ते तुड़वाता है। 50-50 पत्तों की गड्डी बनती है और 100 गड्डी बनाने की मजदूरी 90 रूपये मिलती है। तेंदू पत्ते तोड़ने का काम अप्रैल माह के अंत में या मई में शुरू होता है, जो 20-25 दिन चलता है।	वन विभाग के कब्जे वाले जंगल पर सामुदायिक दावा करके गाँव सभा के अधीन करना। जंगल के आस-पास पानी रुकने की व्यवस्था होने पर जंगल में आंवला, टीमरु, सीताफल, आम, सागवान और अन्य वृक्ष लगाने से गाँव के लोगों को लघु वन उपज से आय होगी।
3	**जमीन**	काबिज जमीन पर अधिकाँश गाँव वालों को खातेदारी का हक नहीं मिला है। उनकी जमीन पहाड़ों की ढलान वाली, पथरीली एवं ऊबड़-खाबड़ है। उस पर बरसात में होने वाली फसल ही पैदा हो पाती है। सूखा	कब्जे की जमीन के पट्टे के लिए दावे करके उनका अनुसरण करना। जमीन का समतलीकरण करना। कम्पोस्ट जैविक खाद का प्रयोग करके जमीन को अधिक उपजाऊ बनाया जा सकता हैं।

		पड़ने पर वह भी नहीं हो पाती है। कुछ लोग सिंचाई के साधन जैसे बोरवेल होने से पहाड़ी भूमि पर भी खेती कर पाते हैं, लेकिन वह काफी महँगी पड़ती है।	

गाँव सभा द्वारा चिह्नित समस्याएं, उनके कारण एवं प्रस्तावित समाधान

क्र.सं.	समस्याएं	सार्वजनिक/ व्यक्तिगत	कारण	समाधान	तात्कालिक/ दीर्घकालिक
1	**रास्ते की समस्या**	**सार्वजनिक**	आमझरा गाँव की तीन पक्की सडकों में से एक अधूरी है। गाँव के फलों में जाने का रास्ते कच्चे या सी.सी. है जो टूटे-फूटे ऊबड़-खाबड़ हैं। गाँव में जाने के लिए आवागमन का कोई साधन नहीं मिलता है। लोगों घर तक जाने के लिए कच्चे रास्ते और पगडंडी है। ऊबड़-खाबड़ जमीन होने से रास्ता निर्माण में कठिनाई आती है। रास्ते के लिए जमीन देने में भी लोग विवाद करते हैं। बारिश में कच्ची सडकों से लोगों को आने-जाने और बीमारों को हॉस्पिटल ले जाने में समस्या आती है।	गाँव सभा कमेटियों के गठन के बाद जहाँ-जहाँ रास्ते नहीं है, वहाँ के प्रस्ताव लिए गए हैं। रास्ते के विवाद के प्रकरण पर भी गाँव सभा में समझाईश देकर निपटान किया जाएगा। सभी कच्ची सडकों और पगडंडियों को चौड़ा करके सी.सी. रोड़ बनाना।	**तात्कालिक**
2	**विद्यालय**	**सार्वजनिक**	विद्यालयों में अध्यापकों की कमी है। पर्याप्त कमरे भी नहीं है। स्कूल में पीने का शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है। शौचालय की बुरी स्थिति और नियुक्त अध्यापकों पर गैरशैक्षणिक कार्यों की भी जिम्मेदारी है ।	इस समस्या के समाधान के लिए गाँव सभा में निर्णय लिया गया है कि शिक्षा विभाग और जिला अधिकारियों को अध्यापकों की नियुक्ति हेतु ज्ञापन दिया जाएगा। स्कूल में शुद्ध पानी और छात्र-	**तात्कालिक**

			इसके कारण बच्चों की पढाई बिलकुल बरबाद हो रही है। शिक्षा विभाग की नीतियों और गाँव के लोगों की अपने बच्चों की शिक्षा प्रति उदासीनता बच्चों की शिक्षा को बर्बाद कर रही है। नामांकन दर कम और ड्राप आउट दर अधिक है। बच्चे परिवार की परवरिश के लिए बीच में पढाई छोड़ कर कमाने के लिए बाहर बालश्रम करने चले जाते हैं।	छात्राओं हेतु अलग-अलग शौचालय बनवा कर विद्यालय में शिक्षा का वातावरण सुविधाजनक बनाया जा सकता है।	
3	**कृषि संबधी समस्या**	**व्यक्तिगत / सार्वजनिक**	कृषि जमीन पहाड़ी ढलान वाली और ऊबड़-खाबड़ है। कृषि योग्य समतल भूमि कम है। सिंचाई की सुविधा भी नहीं है। बरसात का पानी गाँव में रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है। उन्नतशील बीज का अभाव है। कीट नाशकों और रसायनिक खाद का अत्यधिक उपयोग। मिट्टी की उर्वरकता की जाँच नहीं करवाना।	खेतों का समतलीकरण, बरसात का पानी रोकने के लिए खेतों की मेड़बंदी तथा कच्चे चेक डैम का निर्माण और खेत तलावड़ी का निर्माण करना। गाँव के नाले में पानी रोकने की योजना। आय के लिए बागवानी पर भी विशेष ध्यान देना। उन्नतशील बीज और खाद की उपलब्धता।	**तात्कालिक**

4	**सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समस्या**	**व्यक्तिगत**	गाँव के लोगों ने आवास योजना के तहत आवास बनवाये हैं, पर उनके भुगतान संबधी समस्या है। लोगों का शौचालय निर्माण का भुगतान भी बाकी है। गाँव में किसी को भी पशु बाड़ा नहीं मिला है। पेंशन का भुगतान भी लापरवाही और भ्रष्टाचार के चलते रुक जाता है। राशन वितरण में अनियमितता।	गाँव के सबसे जरूरतमंद लोगों को आवास निर्माण हेतु आवेदन कराना और उसके लिए प्रयास करना। बकाया राशि का भुगतान तुरंत करना। जिन लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है, उनको पेंशन योजना से जोड़ना। बंद पेंशन का भुगतान तुरंत शुरू करवाना। राशन वितरण ठीक से करवाना।	**तात्कालिक**
5	**काबिज भूमि पर खातेदारी का हक नहीं मिलना**	**सार्वजनिक**	पीढ़ियों से काबिज भूमि पर घर, खेत और कुआ होने के बावजूद उनको खातेदारी का हक नहीं मिला है। गाँव के लोगों ने अपनी-अपनी जमीन पर राजस्व विभाग में खातेदारी के लिए दावे भी किये हैं। सरकार की नीतियों के कारण भविष्य में भूमि छीन जाने का भय है।	गाँव सभा द्वारा सभी लोगों की काबिज भूमि पर व्यक्तिगत खातेदारी हेतु दावे का प्रकरण तैयार करना। उसको जमा करवा कर उसकी रसीद ली जाए और समय-समय पर उसकी पैरवी की जाए कि प्रकरण कितना आगे बढ़ा है।	**दीर्घकालिक**
6	**जल की समस्या**	**सार्वजनिक**	जल की समस्या का पहला कारण भू-जलस्तर नीचे चला जाना है। गाँव में चेक डैम, एनिकट, कुँए, नाले, ट्यूबवेल और हैंडपंप आदि जल स्रोत होने के बावजूद बरसात के बाद भू-जलस्तर कम होने से जल संकट बढ़ने लगता है। यह संकट सिंचाई से लेकर पेयजल तक का होता है। इसका मूल कारण जल का अधिक दोहन और वर्षा जल संरक्षण न कर पाना है।	शुद्ध पीने के पानी के लिए वर्षा जल संरक्षण करके पानी को रोककर पीने लायक करके पीना। हैंडपंप और आर. ओ. प्लांट लगाना। बरसात के पानी को रोकने की बेहतर योजना और बोरवेल से पानी निकालने पर नियंत्रण। नए एनीकट निर्माण और पुराने, तालाब और एनिकट, चेकडैम की मरम्मत तथा नए तालाब और एनिकट का	**तात्कालिक**

			दूसरा कारण पीने के पानी में पाए जाने वाले फ्लोराइड और आयरन की मात्रा का होना, जिसके कारण गाँववासियों में फ्लोरोसिस रोग होता है।	निर्माण।	
7	**उज्ज्वला गैस कनेक्शन और बिजली कनेक्शन न मिलना**	**सार्वजनिक**	गाँव के कुछ घरों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिल गया है तो पूरे गाँव का मिट्टी का तेल बंद कर दिया गया है। लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वे दूसरी बार गैस टंकी को रिफिल करवा सकें। जिन घरों में बिजली कनेक्शन हैं, वे लोग बिजली के बिल अधिक आने की समस्या से पीड़ित हैं।	गाँव सभा द्वारा पंचायत समिति में ज्ञापन दे करके मिट्टी का तेल चालू करवाना और बिजली विभाग को ज्ञापन सौप कर विभाग के कर्मचारियों को नियमित रीडिंग लेने और सही बिल भेजने के लिए पाबंद करना।	**तात्कालिक**

संसाधन आकलन व S.W.O.T विश्लेषण

S- Strengths **शक्तियां**	**W- Weakness** **कमजोरी**	**O- Opportunities** **अवसर**	**T- Threats** **चुनौतियां**
आवागमन			
कच्ची सड़क पक्की सड़क सी.सी. सड़क मजदूर नरेगा	अधूरी पक्की सड़क को पूरा नहीं करना। कच्ची सड़क को सी.सी. सड़क में तब्दील न करना। टूटी सडकों की समय से मरम्मत न करना। सड़क का संकरा होना। सरपंच और मेट द्वारा भ्रष्टाचार करना। मनरेगा के मानदेय के अनुसार मजदूरी न	मनरेगा के अंतर्गत कच्ची सड़क निर्माण और मरम्मत का कार्य किया जा सकता है। कच्ची सड़क को सी.सी. सड़क में तब्दील किया जा सकता है। एक घर से दूसरे घर तक जाने के लिए सी.सी. सड़क बनाई जा सकती है। सड़क निर्माण से	पंचायत व मेट द्वारा किया जाने वाला भ्रष्टाचार रोकना। निगरानी समिति द्वारा विकास कार्यों की निगरानी करना। सड़क निर्माण संबंधी विवाद निपटाना। गाँव सभा को मजबूत और ग्रामीणों को संगठित करना।

	मिलना। लोगों का सड़क के लिए जमीन देने में तैयार न होना।	आवागमन की सुविधा में सुधार होगा। मनरेगा के तहत कार्य सडकों का कार्य होने से रोजगार के अवसर पैदा होंगे। रास्तों की सुविधा होने से बच्चों को विद्यालय और मरीजों को अस्पताल ले जाने में सुविधा होगी। रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए छोटे-मोटे उद्योग किये जा सकते हैं। गाँव तक सरकारी वाहन चलाने की माँग की जा सकती है।	
जल -			
नाले तालाब चेक डैम एनीकट कुएं हैंडपंप बोरवेल	वर्षा जल संरक्षण की कोई योजना न होना। बोरवेल के अत्यधिक प्रयोग से जलस्तर का कम होते जाना। पानी में फ्लोराइड का होना। गर्मी में जल स्रोतों का सूख जाना। पंचायत का जल संग्रहण के प्रति उदासीन होना।	तालाब और कुओं की गहराई बढ़ाई जा सकती है। कुएं, हैंडपंप में पानी को रीचार्ज किया जा सकता है। एनिकट और चेक डैम की मरम्मत की जा सकती है। बारिश का पानी रोकने की योजना पर काम किया जा सकता है। बोरवेल पर नियंत्रण और उसके प्रयोग से संबंधित नियम बनाए जा सकते हैं।	पंचायत का ध्यान बारिश के पानी के संग्रहण के प्रति आकर्षित करना। जल संग्रहण की योजना का क्रियान्वयन मनरेगा के तहत करवाना। गाँव के लोगों को जल प्रबंधन व संग्रहण के प्रति जागरूक करना।

आजीविका संवर्धन			
कृषि भूमि चारागाह सब्जी की खेती मजदूरी नरेगा पशु पालन मछली पालन	कृषि भूमि का ऊबड़-खाबड़ व पथरीली होना। गाँव में सभी के पास पर्याप्त जमीन न होना। चारागाह पर अवैध कब्ज़ा। मनरेगा के प्रति लोगों का उदासीन होना। पशुओं के लिए पर्याप्त चारा न होना।	भूमि समतलीकरण व जमीन को उपजाऊ बनाना। सिंचाई के साधनों में पानी की पर्याप्त उपलब्धता की योजना बनाना। चारगाह की जमीन का विकास कर पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था की जा सकती है। मनरेगा के तहत सामूहिक कार्य योजना बनाई जा सकती है। छोटे पशु जैसे भेड़, बकरी या मुर्गी, मधुमक्खी पालन किया जा सकता है। तालाब और एनिकट में मछलीपालन किया जा सकता है। सब्जी की खेती की जा सकती है। छोटे-मोटे उद्योग किये जा सकते हैं।	मनरेगा को मूल स्वरुप में लागू करवाना। गाँव सभा में रोजगार की समस्या और उसके निवारण पर चर्चा करना। रोजगार के अन्य साधनों के प्रति जागरूकता फैलाना। गाँव सभा को मजबूत करना।
भूमि			
बिलानाम भूमि वन भूमि	बिलानाम भूमि का अधिकार पत्र न मिलना। वनभूमि पर वन विभाग का कब्ज़ा। वन विभाग द्वारा वन की मनमानी कटाई। वन संरक्षण के प्रति वन	बिलानाम भूमि अधिकार पत्र के लिए योजना बनाई जा सकती है। सामूहिक वन दावा किया जा सकता है। वन प्रबंधन की योजना बनाई जा सकती है।	बिलानाम भूमि व वन अधिकार की सामूहिक माँग करना। वन समिति व गाँव सभा को मजबूत करना। वन विभाग के भ्रष्टाचार को रोकना।

	समिति का उदासीन होना।	लघु वन उपज के पौधे व फलदार पौधे लगाये जा सकते हैं। तेंदू पत्ते का ठेका गाँव सभा द्वारा लिया जा सकता है।	वन संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना।

गाँव सभा द्वारा तैयार गाँव का नजरिया नक्शा -

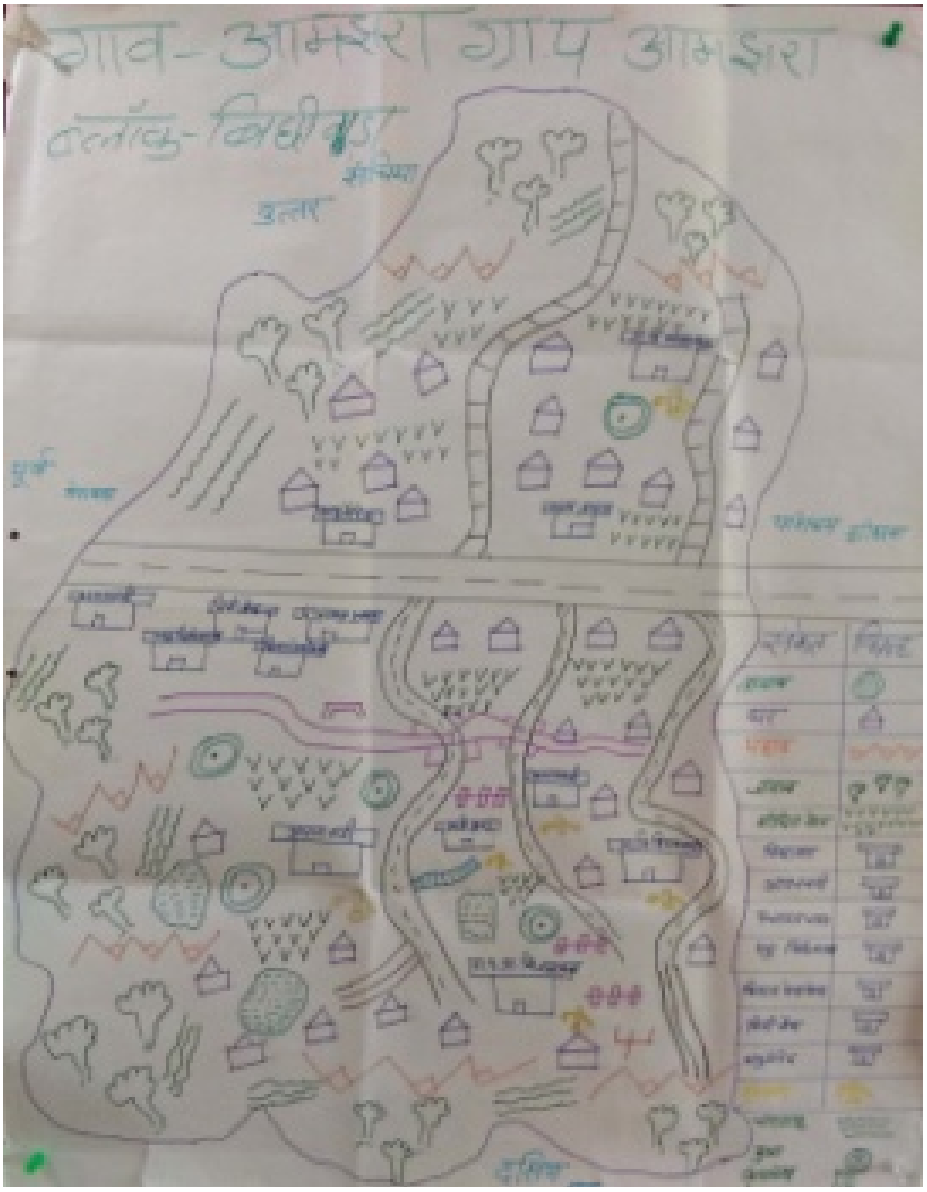

नजरिया नक्शा आमझरा

गाँव सभा द्वारा तैयार गाँव विकास योजना में प्रस्तावित कार्यो का विवरण -

क्र. सं.	प्रस्तावित कार्य	संख्या
1	पेंशन के संबंध में	
	वृद्धा पेंशन	3
	वृद्धा पेंशन चालू करवाना	1
	विकलांग पेंशन	3
	एकल नारी पेंशन	1
	पालनहार योजना	3
2	प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास निर्माण	4
	प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास निर्माण किश्त बाकी	2
3	शौचालय निर्माण	11
4.	स्कूल के संबंध में **राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नाल फला** 1. अध्यापकों की नियुक्ति - 4 2. कक्षा कक्ष निर्माण - 4	1
5	नई आंगनवाड़ी निर्माण के संबंध में उमरा वाला कुआं के पास	1
6	राशन की दुकान के संबंध में आमझरा दूसरा में लैंपस भवन में राशन की दुकान शुरू करना	1
7	सामाजिक विवाद निपटाने के संबंध में	1
8	सामाजिक कुरीतियां के संदर्भ में बाल श्रम रोकथाम बाल विवाह डायन प्रथा रोकथाम तथा मौताणा रोकथाम	1
9	तालाब मरम्मत के संबंध में नए तालाब का गहरीकरण और पक्की रिंग वालों का निर्माण	1
10	रास्ता रामायण के संबंध में 1. हीड़वा फला से नाला तालाब तक सीसी सड़क 2. मुख्य सड़क से श्मशान घाट तक सीसी सड़क 3. जसू/छगन वादी के घर से तालाब तक सड़क निर्माण 4. तालाब से दतरा वाली घाटी तक सड़क मय पुलिया निर्माण 5. अरेठी वाली घाटी से दतरा वाली घाटी तक कच्ची सड़क	5

	निर्माण।	
11	केटेगरी 4 के कार्य	27
12	वृक्षारोपण	15
13	हैंडपंप के संबंध में	13
14	उज्जवला गैस कनेक्शन के संदर्भ में	5
15	चेक डैम निर्माण के संबंध में कच्चे चेक डैम 1. अहारी फला 2. डामोर फला 3. नई आबादी 4. स्कूल फला	4
16	आर.ओ. प्लांट प्लांट लगाने के संबंध में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नाला फला "अ" में	1
17	श्मशान घाट के संबंध में परकोटा निर्माण छाया प्रबंध	1
18	श्रमिक कार्ड बनवाने के संबंध में	12
19	सामुदायिक वन दावा	1

गाँव विकास नियोजन प्रक्रिया - फोटो गैलेरी

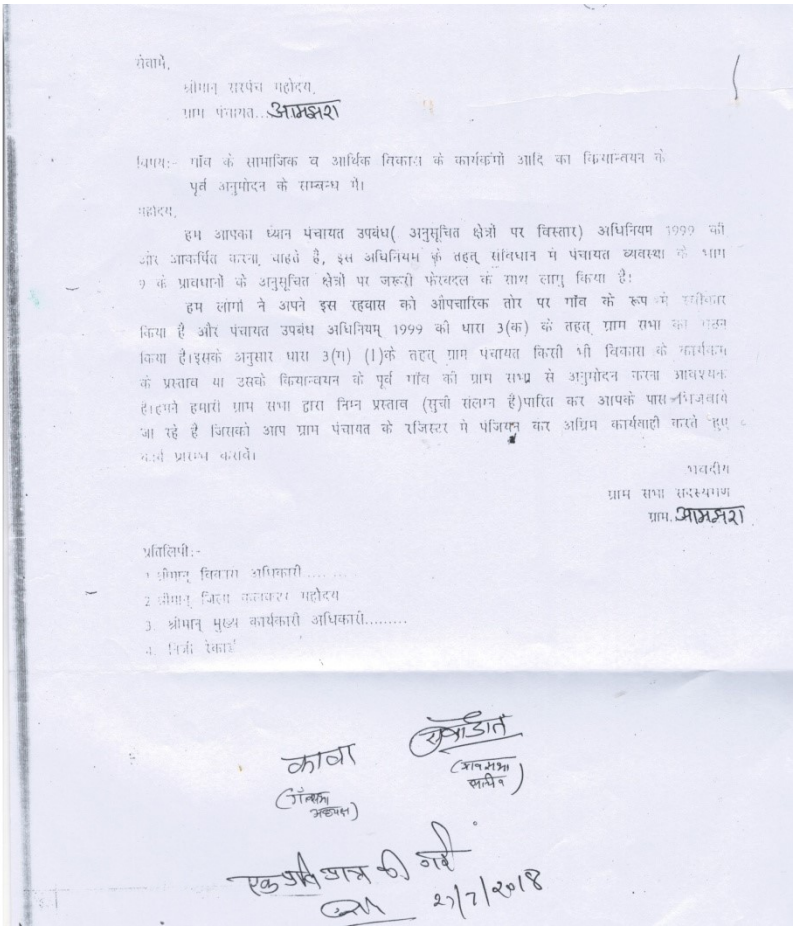

सेवामें,

श्रीमान् सरपंच महोदय,

ग्राम पंचायत...आमझरा

विषयः- गाँव के सामाजिक व आर्थिक विकास के कार्यक्रमो आदि का क्रियान्वयन के पूर्व अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

हम आपका ध्यान पंचायत उपबंध(अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1999 की ओर आकर्षित करना चाहते है, इस अधिनियम के तहत् संविधान में पंचायत व्यवस्था के भाग 9 के प्रावधानों के अनुसूचित क्षेत्रों पर जरूरी फेरबदल के साथ लागू किया है।

हम लोगों ने अपने इस रहवास को औपचारिक तोर पर गाँव के रूप में स्वीकार किया है और पंचायत उपबंध अधिनियम् 1999 की धारा 3(क) के तहत् ग्राम सभा का गठन किया है।इसके अनुसार धारा 3(ग) (1)के तहत् ग्राम पंचायत किसी भी विकास के कार्यक्रम के प्रस्ताव या उसके क्रियान्वयन के पूर्व गाँव की ग्राम सभा से अनुमोदन करना आवश्यक है।हमने हमारी ग्राम सभा द्वारा निम्न प्रस्ताव (सूची संलग्न है)पारित कर आपके पास भिजवाये जा रहे है जिसको आप ग्राम पंचायत के रजिस्टर मे पंजियन कर अग्रिम कार्यवाही करते हुए काम प्रारम्भ करावें।

भवदीय

ग्राम सभा सदस्यगण

ग्राम.आमझरा

प्रतिलिपी:-

1 श्रीमान् विकास अधिकारी.....

2 श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय

3. श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी.....

4. निजी रेकार्ड

प्रस्ताव कवरिंग

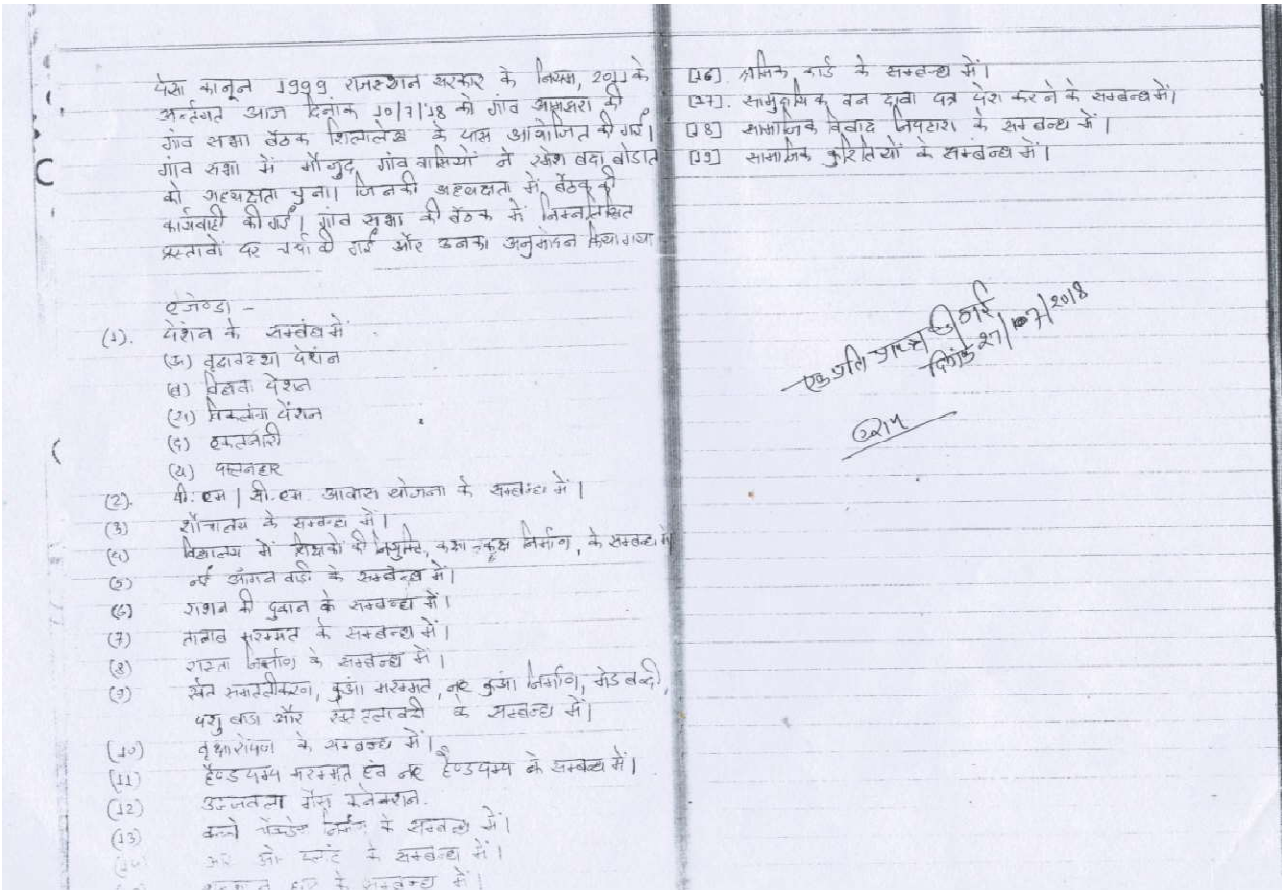

पेसा कानून 1999 राजस्थान सरकार के नियम, 2011 के अन्तर्गत आज दिनांक 10/7/18 को गांव अम्बासरा की गांव सभा बैठक शिलालेख के पास आयोजित की गई। गांव सभा में मौजूद गांव वासियों ने रमेश बदा बोडात को अध्यक्षता चुना। जिनकी अध्यक्षता में बैठक की कार्यवाही की गई। गांव सभा की बैठक में निम्नलिखित प्रस्तावों पर चर्चा की गई और उनका अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा -

(1). पेंशन के सम्बंध में
(अ) वृद्धावस्था पेंशन
(ब) विधवा पेंशन
(स) विकलांग पेंशन
(द) एकलनारी
(य) पालनहार

(2). पी. एम / सी. एम. आवास योजना के सम्बन्ध में।
(3) शौचालय के सम्बन्ध में।
(4) विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति, कक्षा कक्ष निर्माण, के सम्बन्ध में।
(5) नई आंगनवाड़ी के सम्बन्ध में।
(6) राशन की दुकान के सम्बन्ध में।
(7) तालाब मरम्मत के सम्बन्ध में।
(8) रास्ता निर्माण के सम्बन्ध में।
(9) खेत समतलीकरण, कुआं मरम्मत, नए कुआं निर्माण, मेड़बन्दी, पशु बाड़ा और खेत तलावड़ी के सम्बन्ध में।
(10) वृक्षारोपण के सम्बन्ध में।
(11) हैण्डपम्प मरम्मत एवं नए हैण्डपम्प के सम्बन्ध में।
(12) उज्ज्वला गैस कनेक्शन.
(13) कच्चे चेकडेम निर्माण के सम्बन्ध में।
(14) आर ओ प्लांट के सम्बन्ध में।
(15) [illegible] के सम्बन्ध में।

[16] श्रमिक कार्ड के सम्बन्ध में।
[17]. सामुदायिक वन दावा पत्र पेश करने के सम्बन्ध में।
[18] सामाजिक विवाद निपटारा के सम्बन्ध में।
[19] सामाजिक कुरीतियों के सम्बन्ध में।

एक प्रति प्राप्त की गई
दिनांक 27/07/2018

प्रस्ताव प्रथम पेज

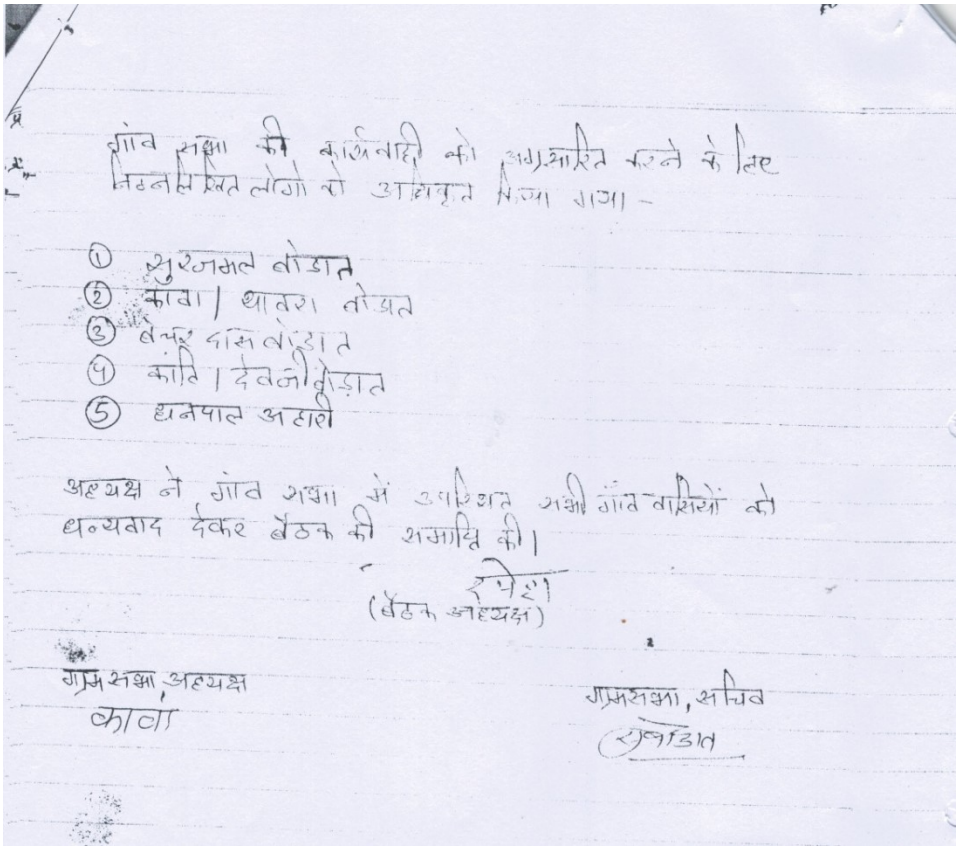

गांव सभा की कार्यवाही को अग्रसारित करने के लिए निम्नलिखित लोगों को अधिकृत किया गया -

1. सुरजमल बोड़ात
2. कावा / थावरा बोड़ात
3. बेचर दास बोड़ात
4. कांति / देवजी बोड़ात
5. धनपाल अहारी

अध्यक्ष ने गांव सभा में उपस्थित सभी गांव वासियों को धन्यवाद देकर बैठक की समाप्ति की।

रमेश
(बैठक अध्यक्ष)

ग्राम सभा अध्यक्ष
कावा

ग्राम सभा, सचिव
बोड़ात

प्रस्ताव अंतिम पेज

विलेज प्लानिंग फेसिलिटेटर टीम (V.P.F.T.)

क्र.	नाम	फोन न.
1	जीवन प्रकाश अमरा जी बोड़ात	9460784248
2	कावा जी थावरा जी बोड़ात	7742441601
3	रेखा बोड़ात	8890459732
4	राकेश कुमार	8290758085
5	सूरजमल	9649823142
6	बेचरदास अमरा जी बोड़ात	